आवश्यक जानकारी

मैं वरिष्ठ अध्यापक हु, मेने 27 वर्ष पूर्ण करने पर दिनांक 11.11.2022 को मेरी एसीपी स्वीकृत की गई, अब निदेशालय द्वारा दिनांक 13.12.2024 जारी डीपीसी आदेश में व्याख्याता पद पर दिनांक 01.04.2021 को चयन हो गया है क्या पूर्व में स्वीकृत एसीपी प्रयाहरित होगी ?

उत्तर :- आपकी नियुक्ति 11.11.1995 की है, राजकीय संतोषजनक 27 वर्ष पूर्ण करने पर 3rd ACP स्वीकृत की जा चुकी है।

अब आपकी पदोन्नति वर्ष 2021-22 के विरुद्ध चयन तिथि 01.04.2021 से मानी गई है यानी आप राजपत्रित अधिकारी बन गए है। राजपत्रित (व्याख्याता) की एसीपी प्रथम नियुक्ति तिथि से 30 वर्ष पूर्ण करने पर दिनांक 11.11.2025 देयता बनती है। परन्तु...

वित विभाग के आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुसार MACP में पुनरीक्षित वेतमान नियम 15 को डिलीट किया गए है अर्थात् राजपत्रित अधिकारियों को भी 9,18,27 वर्ष का लाभ 01.04.2023 से लागू किया गया है।

उक्त नियमानुसार आपको 01.04.2023 से 27 वर्ष की MACP का लाभ देय होगा, पूर्व में स्वीकृत की गईएसीपी प्रत्याहरित होगी , प्रयाहरित की कार्यवाही करावे। फिर पुनः MACP हेतु आवेदन करे।

विशेष :-

1. आपकी वसूली वित विभाग के आदेश दिनांक 13.04.2023 के अनुसार पदोन्नति आदेश जारी होने की दिनांक से पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण दिनांक तक की वसूली होगी। परन्तु इससे पूर्व की वसूली माफ करवाने हेतु प्रकरण नियुक्ति अधिकारी कार्यालय में, मुख्य लेखाधिकारी के पास भिजवाएं।

2. अगर आपके द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया जाता है तो पूर्व में स्वीकृत ACP निरस्त होगी। भविष्य में 2 डीपीसी वर्ष बाद पदोन्नति होगी। उक्त डीपीसी में कार्यग्रहण करना होगी फिर MACP नियत तिथि से फार्गो अवधि जोड़ने के बाद एसीपी/MACP मिलेगी।

3. वित विभाग के आदेश दिनांक 23.08.2024 का भी अध्ययन कर लेवे।

4. ध्यान रहे कि डीपीसी फार्गो नहीं करे या अपने विवेक काम में लेवे।

महत्वपूर्ण:-

यदि ACP/MACP एवं पदोन्नति चयन तिथि सेम है, तो पदोन्नति पर वेतन निर्धारण होगा।

यदि पदोन्नति फोर्गो करते हो तो, ACP/MACP देय नहीं होगी।

नरेंद्र सिंह सालासर
AAO, DEO,SEC, CHURU
PM INFO ADMIN

www.teachersraj.com